

(किराये पर आयुर्वेद मेडीकल स्टोर दुकान एस-3 हेतु ई-निविदा प्रस्तुत करने के नियम निर्देश एवं शर्त)

1. पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान परिसर में निर्मित आयुर्वेद मेडीकल स्टोर संचालन हेतु दुकान एस-3 को किराये पर देने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. ई-निविदा प्रपत्र प्राप्त करने एवं जमा करने अंतिम तिथि 10.03.2021 को सायं: 05.00 बजे तक है, ई-तकनीकी निविदा महाविद्यालय में दिनांक 12.03.2021 को दोपहर 02.00 बजे एवं वित्तीय निविदा दिनांक को 12.03.2021 सायं 04.00 बजे mptender.gov.in से डाउनलोड की जावेगी।
3. ई-निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है, निविदाकर्ता द्वारा कार्यादेश का कुछ भाग या पूर्ण भाग अन्य किसी ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं सौंपेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा किसी अन्य फर्म/व्यक्ति को कार्य सौंपता है या कार्य कराता पाया जाता है तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर निष्पादन प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी एवं संबंधित फर्म को **Black Listed** किया जायेगा, जिसमें किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं किया जावेगा तथा एल-02 निविदाकर्ता को कार्य आदेश दिया जावेगा।
4. इच्छुक ई-निविदाकर्ता ऑनलाइन mptender.gov.in से ई-निविदा राशि रु. 1000/- का भुगतान कर ई-निविदा प्राप्त कर सकते हैं जिसको mptender.gov.in पर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक आनलाइन सबमिट की जाना है।
5. ई.एम.डी. राशि रुपये 150000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) जिसे ई-पेमेन्ट के माध्यम से mptender.gov.in पर tender सबमिट करते समय पेमेन्ट करना होगा। ई.एम.डी. राशि सफल निविदाकार की अनुबध होने नियमानुसार वापस की जावेगी, शेष निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि mptender.gov.in के माध्यम से वापस लौटा दी जावेगी। सफल निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि (अनुबध राशि के 5 से 10 प्रतिशत तक) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संस्थान में जमा करना होगा निष्पादन प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के अनुबध समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी।
6. सफल निविदाकर्ता फर्म को दुकान एस-03 आयुर्वेद मेडीकल स्टोर संचालन हेतु किराये पर दी जावेगी। जिसका (दुकान एस-03) वर्तमान किराया 39267.00 प्रतिमाह है। निविदाकारों को वर्तमान किराये से कम किराया राशि निविदा में अंकित करने की अनुमति नहीं होगी। वर्तमान किराये से कम किराया राशि वाले निविदाकार की निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अग्रिम किराया प्रतिमाह की 07 तारीख तक महाविद्यालय के लेखा कक्ष में जमा कराना अनिवार्य होगा। किराया समय-सीमा में जमा न करने की स्थिति में 15 प्रतिशत अधिभार लिया जावेगा।

7. निविदाकार फर्म के पास जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना आवश्यक है, जिसे तकनीकी निविदा से साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
8. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर न्यूनतम 60 लाख होना आवश्यक है जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेस शीट, लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
9. GST पंजीयन पत्र की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
11. पैन नंबर की छायाप्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
12. तकनीकी निविदा के परीक्षण में सफल निविदाकारों की ही वित्तीय निविदाये खोली जावेगी । वित्तीय निविदा अनुसार अधिकतम किराया आफर करने वाले निविदाकार को दुकान का आवंटन निर्धारित शर्तों के अधीन किया जावेगा ।
13. सफल निविदाकर्ता को म0प्र0स्टांप अधिनियम के नियमों के अनुसार निर्धारित राशि के नान ज्युडीशियल स्टांप पर किरायेदारी का अनुबंध एवं 03 माह की किराया राशि अग्रिम में जमा करना होगा । प्रधानाचार्य पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल से आदेश प्राप्त होने में उल्लेखित तिथि से किरायेदारी प्रारंभ करनी होगी ।
14. निविदा / अनुबंध कार्य आदेश तिथि से (05) पांच वर्ष के लिए होगा । जो कि प्रतिवर्ष कार्य संतोषजनक होने पर तदसमय प्रचलित किराये में 10 प्रतिशत किराया राशि की बृद्धि से साथ निरंतर की जायेगी । कार्य संतोषजनक न होने व निविदा की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में समय से पूर्व भी अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा ।
15. मेडीकल स्टोर में कार्यरत कर्मचारियों का पूर्ण बायोडाटा संस्था में प्रस्तुत करना होगा । यदि किसी कार्यरत कर्मचारियों का बदलाव निविदाकर्ता द्वारा किया जाता है तो उसकी तत्काल सूचना संस्था प्रमुख को लिखित में पूर्ण दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करनी होगी ।
16. निविदाकर्ता द्वारा कार्य में लगाए गए कर्मचारियों से संबंधित नियमानुसार पुलिस सत्यापन, बीमा दुर्घटना क्षति पूर्ति आदि की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी ।
17. निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध जारी रखने में यदि असमर्थता व्यक्त की जाती है तो कम से कम एक माह पूर्व संस्था को सूचित करना आवश्यक होगा अन्यथा संपूर्ण धरोहर राशि राजसात की जावेगी ।

18. निविदाकर्ता को किराये की राशि केवल ई-वित्तीय निविदा की एक्सल शीट में शब्दों एवं अंको में अंकित करना है । शब्दों एवं अंको की राशि में अंतर की स्थिति में शब्दों में अंकित राशि को मान्य किया जावेगा ।
19. डिफाल्टर फर्म (ताप्पर्य वह फर्म जिसे अनुबंध शर्तों के उल्लंघन के कारण अनुबंध अवधि के पूर्व समाप्त किया गया हो) आगामी निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगी ।
20. निविदाकार को केवल लाइट कूलर पंखे फ्रिज, चलाने हेतु बिजली प्रदाय की जावेगी जिसका शुल्क सब मीटर की रीडिंग के आधार पर संस्था द्वारा निर्धारित किया जावेगा । उसका भुगतान निविदाकर्ता फर्म द्वारा प्रतिमाह लेखा कक्ष संस्थान में जमा करना होगा ।
21. संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
22. दुकान का उपयोग पूर्णतः आयुर्वेद मेडीकल स्टोर के लिए किया जावेगा । इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय किया जाना पाये जाने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा ।
23. प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल विशेष परिस्थिति में अनुबंधित अवधि से पूर्व भी 01 माह पूर्व नोटिस देकर या नोटिस दुकान पर चस्पा कर दुकान खाली कराना चाहे तो बिना विवाद किये दुकान खाली कर आधिपत्य सौपना होगा ।
24. प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल की परिसम्पति होगी, मात्र अनुबंध अनुसार उपयोग करने का अधिकार होगा ।
25. दुकान हेतु किये जाने वाले अनुबंध, पंजीयन, स्टॉप पेपर आदि व्ययों का वहन निविदाकर्ता फर्म द्वारा किया जावेगा ।
26. निविदाकर्ता को प्राप्त होने वाली आय पर टैक्स, सरचार्ज, सेवाकर आदि का भुगतान स्वयं निविदाकर्ता फर्म को करना होगा ।
27. निविदाकार फर्म किसी शासकीय / अशासकीय / अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिये इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
28. किसी भी निविदा की समयावधि / स्थान / समय में परिवर्तन करना / निविदा को स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाचार्य एवं मुख्यकार्यपालन अधिकारी पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल को होगा ।

29. प्रपत्र-03 अनुसार शपथ पत्र को तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है ।
30. अनुबंध अबधि में दुकान में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत रंग रोगन कार्य निविदाकार फर्म को करना होगा लेकिन किसी भी स्थिति में दुकान की मूल अद्योसंरचना में निविदाकार परिवर्तन नहीं कर सकेगा ।
31. ई-तकनीकी निविदा में अपलोड समस्त दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित प्रति तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक को निर्धारित समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
32. संलग्न चेक लिस्ट अनुसार दस्तावेजों को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है। चेक लिस्ट के सरल क्र-01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा का परीक्षण किया जावेगा । इन्हीं अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।
33. किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र. होगा ।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद
महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल



पं.खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल

(किराये पर आयुर्वेद मेडीकल स्टोर संचालन हेतु दुकान एस-3 की तकनीकी ई-निविदा का प्रपत्र -01)

1. निविदाकर्ता फर्म का नाम-----
2. फर्म के मालिक का नाम----- पिता का नाम-----
- 3 वर्तमान निवास का पता-----
- 4 दूरभाष /मोबाईल नम्बर-----
- 5 GSTIN NO.-----
- 6 जीवित गुमास्ता नं.....दिनांक
7. पैन कार्ड न.....
- 8 ई.एम.डी. राशि अंको में.....शब्दों में-----डी.डी.क
- दिनांक.....बैंक का नाम.....

(ई.एम.डी.राशि ई-प्रिटेड प्रति तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना होगा)

9. निविदाकर्ता फर्म का वित्तीय वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर न्यूनतम 60 लाख होना आवश्यक है ,जिसके साक्ष्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी की प्रति ,बैलेस शीट,लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की आयकर विवरणी तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हों/नहीं
- 10 जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य का होना अनिवार्य होगा । जिसे तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हों/नहीं
11. प्रपत्र-03 अनुसार शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के दस्तावेजों के साथ अपलोड करना आवश्यक है । संलग्न हों/नहीं
12. निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नही होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा । संलग्न हों/नहीं

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----

खुशीलाल शर्मा शासकीय(स्वशासी)आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान भोपाल
(आयुर्वेद मेडीकल स्टोर दुकान एस-3 हेतु वित्तीय ई-निविदा का प्रपत्र -02)

मेडीकल स्टोर दुकान एस-3 हेतु किराया प्रतिमाह :-

राशि अंको में.....शब्दों में.....

नोट :- उक्त प्रपत्र प्रारूप मात्र है इस प्रपत्र के अनुसार किराया राशि को ई-वित्तीय निविदा ऑनलाइन
mptender.gov.in की एक्सल शीट BBQ मे ही अंकित करना है ।



// शपथ -पत्र //

मैं.....पिता श्री.....

निवासी

उम्र..... शपथ पूर्वक कथन कथन करता हू कि उपरोक्त मेडीकल स्टोर संचालन हेतु दुकान क.एस-03 किराये पर प्राप्त करने हेतु निविदा में दी गई समस्त शर्तों का पूर्ण होश-हवास में अध्ययन कर लिया है जिसकी समस्त शर्तें मुझे मान्य हैं । एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज वैधानिक हैं । निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज त्रुटि पूर्ण पाये जाने की स्थिति में यदि मेरी निविदा /अनुबन्ध निरस्त की जाती है ,तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम-----

मोबाइल नं०

नोट :- उक्त शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टांप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

// चैक-लिस्ट //

उपरोक्त वर्णित नियम शर्तों अनुसार निम्न दस्तावेजों को तकनीकी निविदा प्रपत्र -01 अनुसार ऑनलाइन mptender.gov.in पर सबमिट करते समय आवश्यक रूप से अपलोड किया जाना है :-

क	दस्तावेज का नाम	संलग्न हाँ/नहीं
01	ई.एम.डी.राशि की ई-प्रिटेड प्रति	
02	जीवित गुमास्ता संबंधित कार्य की प्रति	
03	वित्तीय वर्ष 2019-20 का टर्न ओवर न्यूनतम 60 लाख के साक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 की आयकर विवरणी की प्रति, बैलेस शीट, लाभ-हानि पत्रक (चाटेर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित) एवं वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 की आयकर विवरणी की प्रति।	
04	जी.एस.टी.पंजीयन पत्र की प्रति	
05	पैन नम्बर की प्रति	
06	निविदाकार फर्म किसी शासकीय /अशासकीय/अर्धशासकीय संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए इस हेतु शपथ पत्र राशि रु 100.00 एक सौ मात्र के नान ज्युडीशियल स्टॉप पर नोटराइज कराकर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा की प्रति	
07	प्रपत्र-03 अनुसार शपथ पत्र की प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम _____

मोबाइल नं०

नोट :- चैक लिस्ट के सरल क्र-01 से 07 तक के अभिलेखों के आधार पर ही तकनीकी निविदा का विश्लेषण किया जावेगा इन्हीं अभिलेखों के आधार पर तकनीकी निविदा मान्य/अमान्य की जायेगी इनके अतिरिक्त किन्हीं अन्य अभिलेखों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा ।